रा.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

संतोष देवी बनाम विमला देवी वगै.

नम्बर मुकदमा प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 128 LRAct नं० 198 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो की भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश के साथ प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	समस्त पक्षकारों की भूमि का सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढ़ी करवाने हेतु निर्देश नायब तहसीलदार (हस्ताक्षर) सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न पत्रावली मुताबिक पत्थरगढ़ी के आदेश करने के लिए पेश है (हस्ताक्षर) 07/10/2024

उनवान

1. संतोष देवी आयु 39 वर्ष पत्नि आशाराम
2. सुशीला देवी आयु 37 वर्ष पत्नि ताराचंद

कौम बैरवा नि0 तिगड्डा तह0 बसवा जिला दौसा

बनाम

1. विमला देवी पत्नि शिवदयाल
2. विजय पुत्र रामसहाय
3. बनवारीलाल पुत्र कल्याणसहाय
4. बाबूलाल पुत्र कल्याणसहाय
5. खैराती पुत्र भूरया
6. रामचन्दर पुत्र मूलचंद
7. लक्ष्मी पत्नि मूलचंद
8. वेदप्रकाश उर्फ राजू पुत्र मूलचंद

जाति समस्त बैरवा निवासी ग्राम तिगड्डा तहसील बसवा जिला दौसा

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बसवा जिला दौसा

" प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधि0 वास्ते स्थायी सीमा चिन्ह के लिए पत्थरगढी करवाये जाने बाबत "

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम तिगड्डा पटवार हल्का कोलवा तहसील बसवा के नये खाता संख्या 13 पुराने 11 जिसके आराजी खसरा नं. 667/221 रकबा 0.47 हैक्टे. बारानी एक, खसरा नंबर 669/222 रकबा 0.48 बारानी एक, खसरा नंबर 672/228 रकबा 0.01 हैक्टे. बारानी एक कुल किता 3 कुल रकबा 0.96 हैक्टे. स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण का बतौर काश्तकार अंकन दर्ज है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या एक में वर्णित भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार से कोई संबंध सरोकार वास्ता नहीं है और ना ही कभी रहा है। प्रार्थीगण ही उपरोक्त वर्णित भूमि के तन्हा खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि के वजानिब पूर्व दिशा अप्रार्थी संख्या एक विमला देवी तथा पश्चिम दिशा की और अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 की आराजी कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थीगण स्वयं अप्रार्थीगण के मध्य अक्सर सीमा विवाद बना रहता है जिसका मुख्य कारण स्थायी सीमा चिन्हो का अभाव रहा है। प्रार्थीगण ने सीमा विवाद के निस्तारण के लिए अपनी काश्त भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए उप तहसीलदार महोदय के आदेश से हल्का पटवारी कोलवा से

दिनांक 21.06.2022 की संबंधित पक्षों की उपस्थिति में प्रार्थीगण की आराजी भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी जिससे प्रार्थीगण पूर्ण रूपेण संतुष्ट है। स्थायी एवं स्पष्ट सीमा चिन्हो के अभाव में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 के दरमियान बेवजह विवाद उत्पन्न होता रहा है और विवाद की हमेशा संभावना बनी रहती है। स्थायी सीमा चिन्हो के अभाव में अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 ने पश्चिम दिशा की और से प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त खातेदारी की भूमि पर कच्ची मेड (डोली) को तोडकर अवैध रूप से अतिक्रमण कर अपनी और मिलाने का प्रयास करते रहते है जिससे सदैव विवाद की स्थिति बनी रहती है। सीमा चिन्हो को लेकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य विवाद उत्पन्न न हो इसके लिए प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान से रिपोर्ट ग्राम तिगड्डा दिनांक 21.06.2022 में स्थायी सीमा चिन्हों के लिए मौके पर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। अतः सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 21.06.2022 के अनुसार मौके पर उपस्थित होकर स्थायी सीमा चिन्ह के लिए पत्थरगढी किये जाने हेतु अनुरोध किया।

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. तामील के की गयी। अप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से एडवोकेट श्री इंद्रजीत कुण्डारा ने व अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 की तरफ से एडवोकेट श्री नवीन कुमार ने वकालतनामा पेश किया । अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जबाब प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि उक्त वर्णित भूमि के प्रार्थीगण खातेदार है प्रार्थी का यह कथन कि उनकी भूमि से किसी भी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है यह सत्य है लेकिन प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की आड में अप्रार्थी की भूमि खसरा नं. 670/222 व खसरा नं. 668/221 की भूमि को अपनी भूमि खसरा नं. 669/222 व 667/221 में मिलाते हुये करीबन 30 फुट भूमि में अपने खाम पाटौल दीवार बना ली है। प्रार्थी की आराजी भूमि खसरा नं. 669/222 व खसरा नं. 667/221 के लगते अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 670/222 व 668/221 है। नक्शा खसरा ग्राम तिगड्डा के देखने से पता चलता है कि खसरा नं. 669/222 व खसरा नं. 670/222 व खसरा नं. 670/222 के मध्य प्रार्थी व अप्रार्थी की सीमा रेखा नीयत है उसके पश्चात खसरा नं. 667/221 व खसरा नं. 668/221 की सीमा रेखा खसरा नं. 669/222, 670/222 से थोडा हटकर अप्रार्थी की भूमि की तरफ है। प्रार्थी ने अप्रार्थीया की भूमि पर अतिक्रमण करने व स्वयं की भूमि को एक सपाट सीधी करने की नीयत से खसरा नं. 670/222 को दबाते हुये खसरा नं. 667/221 की सीमा में सीधा कर मिला लिया और इस प्रकार करीबन 30 फुट भूमि पर प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण कर लिया। पैरोकार सरकार व भू. अ.नि. गुढलिया ने उपस्थित होकर जबाब रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली किया गया। भू. अ. नि. गुढलिया ने अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया है कि ग्राम तिगड्डा स्थित खसरा नं. 667/221 एवं 669/222 व 672/228 किता 3 रकबा 0.96 हैक्टे. भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2022 को पटवारी हल्का कोलवा द्वारा किया जा चुका है। वकील उभयपक्ष को सुना। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 01 का अवलोकन किया। वर्णित भूमि ग्राम तिगड्डा पटवार हल्का कोलवा तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई के नये खाता संख्या 13 पुराने 11 जिसके आराजी खसरा नं. 667/221 रकबा 0.47 हैक्टे. बारानी एक, खसरा नंबर 669/222 रकबा 0.48 बारानी एक, खसरा नंबर 672/228 रकबा 0.01 हैक्टे. बारानी एक कुल किता 3 कुल रकबा 0.96 हैक्टे. स्थित है जिसके वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण का बतौर काश्तकार अंकन दर्ज है। जो उक्त दोनो प्रार्थीगण की सैपरेट खातेदारी भूमि है । अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीगण के पडोसी खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत जबाब में प्रार्थीगण

द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि पर अतिकमण किये जाने एवं पक्षकारों की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान करवाया जाकर दोनो पक्षो की भूमि में पत्थरगढी किये जाने हेतु सहमति प्रकट की है। अप्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान नहीं हुआ है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थीगण को एल.आर.एक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर उभयपक्षकारान की आराजी का पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एवं अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम तिगड्डा पटवार हल्का कोलवा तहसील बांदीकुई के नये खाता संख्या 13 पुराने 11 जिसके आराजी खसरा नं. 667/221 रकबा 0. 47 हैक्टे. बारानी एक, खसरा नंबर 669/222 रकबा 0.48 बारानी एक, खसरा नंबर 672/228 रकबा 0.01 हैक्टे. बारानी एक कुल किता 3 कुल रकबा 0.96 हैक्टे. का तथा अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा नं. 224, 668/221, 670/222 तथा अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 की भूमि का जो मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि के लगते हुये है का विधिवत सीमाज्ञान कर मौके पर निशानात कायम कर पत्थरगढी नियमानुसार किया जावें। तहसीलदार बांदीकुई मौके पर विधिवत निशानात कायम करा कर पत्थरगढी करावें व मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखे। साथ ही पत्थरगढी के वक्त आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी कोलवा से प्राप्त करें। थानाधिकारी कोलवा वांछित पुलिस जाप्ता मौके पर उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई/ थानाधिकारी कोलवा को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

07.10.24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई